



Neutral Citation No. - 2026:AHC:40409-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

वाणिज्यिक अपील संख्या - 2/2026

नवाब सिंह यादव प्रोप्राइटर मेसर्स आकाश इलेक्ट्रिकल्स एवं अन्य
.....अपीलकर्ता

बनाम

पंजाब एंड बंगाल इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन

.....प्रत्यर्थी

अपीलकर्ता के अधिवक्ता: उत्कर्ष सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: अभिषेक कुमार शुक्ला

मुख्य न्यायमूर्ति का न्यायालय

माननीय अरुण भंसाली, मुख्य न्यायमूर्ति

माननीय क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति

1. यह अपील वाणिज्यिक न्यायालय, कानपुर नगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.12.2025 के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी द्वारा आदेश 39 नियम 1 और 2 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. एवं व्यापार चिह्न अधिनियम की धारा 135 के तहत दायर प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया गया है और अपीलकर्ताओं के विरुद्ध विद्युत उपकरणों पर 'जगरानी' लोगो का उपयोग करने और उसके व्यापार न करने के संबंध में व्यादेश जारी किया गया है।
2. वाद प्रत्यर्थी द्वारा अपीलकर्ता के विरुद्ध व्यादेश की मांग करते हुए अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर दायर किया गया था कि वह व्यापार चिह्न 'जागृति' का स्वामी था और अपीलकर्ता व्यापार चिह्न 'जगरानी' का उपयोग करके माल को खपाने का प्रयास कर रहा था। वाद के साथ ही अस्थायी व्यादेश की मांग करते हुए एक प्रार्थना पत्र भी दायर किया गया था। अपीलकर्ताओं ने प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए जवाब दाखिल किया। वाद का लिखित कथन भी दाखिल किया गया था।
3. वाणिज्यिक न्यायालय ने अपनी आदेश शीट दिनांक 30.07.2025 में लिखित कथन और आदेश 39 नियम 1 और 2 सी.पी.सी. के तहत दायर प्रार्थना पत्र पर आपत्ति दाखिल किए जाने का भी संज्ञान लिया था, तथापि, आक्षेपित आदेश दिनांक 08.12.2025 पारित करते समय यह टिप्पणी की गई कि आदेश 39 नियम 1 और 2 सी.पी.सी. के तहत प्रार्थना पत्र के संबंध में कोई लिखित आपत्ति दाखिल नहीं की गई है, केवल मौखिक तर्क दिए गए हैं। परिणामस्वरूप, आपत्तियों में उठाए गए किसी भी तर्क पर ध्यान नहीं दिया गया और वाणिज्यिक न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला (प्राइमा फेसी केस), सुविधा का संतुलन और अपूरणीय क्षति के मानकों पर प्रार्थना पत्र का निर्णय कर दिया और व्यादेश प्रदान कर दिया।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि एक बार जब लिखित आपत्तियां और साथ ही लिखित कथन पहले से ही अभिलेख पर थे, तो आदेश में की गई टिप्पणी और आपत्तियों पर विचार न करना आक्षेपित आदेश को दूषित करता है और केवल इसी आधार पर आक्षेपित आदेश निरस्त किए जाने योग्य है।
5. व्यादेश के गुण-दोष पर भी तर्क दिए गए, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्यार्थियों की ओर से मौन सहमति (एक्विजेंस) का उल्लेख किया गया और यह कि दर्ज किया गया एकमात्र निष्कर्ष केवल प्रथम दृष्टया मामले से संबंधित है, जबकि सुविधा के संतुलन और अपूरणीय क्षति से संबंधित पहलू को सरसरी तौर पर निपटाया गया है। यह प्रार्थना की गई कि आक्षेपित आदेश निरस्त किए जाने योग्य है।
6. प्रत्यार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के गुण-दोष के आधार पर व्यादेश प्रदान करने को न्यायोचित ठहराने का प्रयास किया, हालांकि, इस तथ्य पर विवाद नहीं किया गया है कि आदेश 39 नियम 1 और 2 सी.पी.सी. के तहत प्रार्थना पत्र पर आपत्ति और अन्य दस्तावेजों के साथ लिखित कथन दाखिल किए गए थे।
7. उपरोक्त तथ्य-स्थिति को देखते हुए, जिसमें वाणिज्यिक न्यायालय ने अपने आक्षेपित आदेश के पैरा 6 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि कोई लिखित आपत्ति दाखिल नहीं की गई है और केवल मौखिक दलीलें दी गई हैं, और न तो उठाई गई आपत्तियों पर ध्यान दिया है और न ही उन पर विचार किया है, वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश केवल इसी आधार पर निरस्त किए जाने योग्य है।
8. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.12.2025 निरस्त किया जाता है।
9. मामले को वाणिज्यिक न्यायालय को वापस भेजा (रिमांड किया) जाता है कि वह अपीलकर्ताओं द्वारा दाखिल आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए आदेश 39 नियम 1 और 2 सी.पी.सी. के तहत प्रार्थना पत्र को सुने और तय करे।
10. मामले की प्रकृति को देखते हुए, वाणिज्यिक न्यायालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अत्यंत शीघ्रता के साथ मामले का निर्णय करे।
11. हम यह स्पष्ट करते हैं कि आक्षेपित आदेश को केवल आपत्तियों और प्रस्तुत सामग्री पर विचार न करने के कारण निरस्त किया गया है और इसे मामले के गुण-दोष पर राय की अभिव्यक्ति के रूप में न लिया जाए।

(क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायमूर्ति)

23 फरवरी, 2026

संदीप/ए.एच.ए.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"